संख्या-929/53-2-2024

प्रेषक,

के० रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,उ०प्र०/
मिशन निदेशक,
नन्द बाबा दुग्ध मिशन,
उत्तर प्रदेश ।

2. निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः23 अक्टूबर, 2024

विषय- 'नन्द बाबा दुग्ध मिशन' के अन्तर्गत गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु "मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना" के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश आबादी ग्रामीण अंचलों में निवास करती है, जिसके जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र के कुल योगदान में पशुपालन क्षेत्र का योगदान 29.3 प्रतिशत है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.35 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश पशुधन विकास के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश है। यद्यपि प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, लेकिन प्रदेश में प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता कम है। प्रदेश में देशी गायों की दुग्ध उत्पादकता 3.78 लीटर प्रतिदिन है, जबकि पंजाब में 8.68 लीटर, हरियाणा में 6.83 लीटर एवं राजस्थान में 5.91 लीटर है। इसका मुख्य कारण प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त दुधारू पशुओं की कमी है। अतः आवश्यकता है कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं वातावरण के दृष्टिगत पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास हेतु स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की अधिक से अधिक इकाइयाँ स्थापित की जाय। स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की संख्या में वृद्धि करने,

डेयरी कार्य को उद्यमिता से जोड़ने, सीमांत एवं लघु कृषकों/पशुपालकों को डेयरी उद्यमिता की ओर उन्मुख करने हेतु प्रदेश में नवीन, परिष्कृत एवं उच्च तकनीकी आधारित हाईटेक डेयरीज स्थापित किये जाने के उद्देश्य से नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत "नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना" का संचालन किया जा रहा है। योजना का सम्पूर्ण प्रदेश में अधिकतम प्रसार सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से 10 स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों वाली इकाईयों की स्थापना हेतु नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत **"मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना"** के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उ0प्र0 के पत्रांक-120/एस0पी0एम0यू0/नन्दिनी मिनी(61)/2024-25, दिनांक 09 अक्टूबर 2024 व पत्रांक-237/एस0पी0एम0यू0/नन्दिनी मिनी(61)/2024-25, दिनांक 17 अक्टूबर 2024 के क्रम में एवं पशुधन विभाग, उ0प्र0 तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना" के क्रियान्वयन हेतु सम्यक् विचारोपरान्त अनुवर्ती प्रस्तरों में दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं।

3- योजना का मुख्य उद्देश्यः

(i) प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाये रखना।
(ii) स्वदेशी गोवंश की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि।
(iii) प्रदेश में पशुपालकों के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त स्वदेशी उन्नत नस्ल के गोवंश की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
(iv) ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना।
(v) पशुपालकों की आय में वृद्धि करना।

4- योजना का स्वरूपः

(i) मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना को प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित किया जायेगा।
(ii) परियोजनान्तर्गत गिर, साहीवाल व थारपारकर स्वदेशी उन्नत नस्ल की 10 गायों की इकाई स्थापित की जायेगी। परियोजना की प्रति इकाई कुल अनुमानित लागत रू0 23.60 लाख होगी।
(iii) परियोजना की कुल अनुमानित लागत साहीवाल, गिर एवं थारपारकर नस्ल की गायों का प्रति गाय मूल्य रूपये एक लाख के आधार पर आगणित है।
(iv) चयनित लाभार्थी द्वारा मिश्रित रूप से साहीवाल, गिर एवं थारपारकर नस्ल की गायों का क्रय किया जा सकता है।
(v) कैटिल शेड/आधारभूत संरचना का निमार्ण मानकीकृत डिजाइन(संलग्नक-1) के अनुरूप किया जायेगा, जिसमें कैटिल शेड के छत के निर्माण में पफ पैनल(Puf Panel) का

उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। इस पर आने वाला अतिरिक्त व्ययभार लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(vi) परियोजनान्तर्गत निर्धारित नस्ल से पृथक किसी अन्य नस्ल की गाय को सम्मिलित किए जाने की व्यवस्था नहीं है। यदि किसी परियोजना में निर्धारित नस्ल से पृथक किसी अन्य नस्ल की गाय को सम्मिलित किया जाता है तो ऐसी परियोजना को संतृप्त नहीं माना जायेगा तथा अनुदान अनुमन्य नहीं होगा।

(vii) परियोजना अंतर्गत निहित उद्देश्यों/मानकों को पूर्ण करने पर लाभार्थियों को प्रति इकाई परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू0 11.80 लाख की सीमा तक अनुदान 02 समान किश्तों में देय होगा।

(viii) परियोजना में आकलित वित्तीय उपाशय जिसमें गोवंश का क्रय एवं अवस्थापना पर व्यय सम्मिलित है, का विवरण संलग्नक-2 व संलग्नक-3 के अनुसार है।

5- लाभार्थी पात्रताः

(i) लाभार्थी स्थानीय निवासी होना चाहिए।

(ii) लाभार्थी का आधार कार्ड अथवा पहचान पत्र होना चाहिए।

(iii) गौ-पालन अथवा महिष-पालन का कम से कम तीन वर्षो का अनुभव होना चाहिए तथा इसका प्रमाण-पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के पशु चिकित्साधिकारी/उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी तथा संबन्धित ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ सलग्न किया जायेगा।

(iv) इकाई स्थापना हेतु लगभग 0.20 एकड़ (8712 वर्ग फुट) भूमि उपलब्ध हो।

(v) इसके अतिरिक्त लगभग 0.80 एकड़ (34848 वर्ग फुट) भूमि चारा उत्पादन हेतु स्वयं की अथवा पैतृक/साझेदारी अथवा न्यूनतम 07 वर्षो के लिए पंजीकृत अनुबन्ध/किराए नामे पर ली गयी हो तथा भूमि परियोजनान्तर्गत चारा उत्पादन के अनुकूल हो। जल भराव वाली तथा ऊसर भूमि जो चारा उत्पादन के अनुकूल न हो अनुमन्य नहीं होगी।

(vi) पूर्व में संचालित कामधेनु, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु अथवा नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत संचालित नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना एवं मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

6-आवेदन प्रक्रियाः

आवेदन करने हेतु एक माह का समय प्रदान करते हुए प्रदेश स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा, जिसका विस्तृत विवरण विभागीय पोर्टल/बेवसाइट के साथ-साथ मिशन के पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगा।

योजनान्तर्गत समस्त आवेदन निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-4) पर नन्द बाबा दुग्ध मिशन के पोर्टल पर ऑनलाईन किये जायेगें, परन्तु जब तक मिशन का पोर्टल आनलाइन नहीं होता

है तब तक पशुपालकों/दुग्ध उत्पादकों द्वारा आवेदन पत्र ऑफलाइन मॉड में सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अथवा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के कार्यालय में निर्धारित अवधि में रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा सीधे जमा किये जायेगें।

7- लाभार्थी चयन प्रक्रिया:

लाभार्थियों का चयन आवेदन हेतु निर्धारित अवधि में ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन मॉड से प्राप्त उपयुक्त आवेदन-पत्रों से किया जायेगा। परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये गये आवेदन-पत्रों की संख्या लक्ष्य से अधिक होने की स्थिति में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा ई-लाटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा। जनपद स्तरीय चयन समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा:-

1. मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	संयोजक सचिव
3. लीड बैंक ऑफिसर	सदस्य
4. उप दुग्धशाला विकास अधिकारी	सदस्य

8- स्थलीय सत्यापन:

(i) सत्यापन समिति- स्थापित इकाइयों के स्थलीय सत्यापन हेतु गठित सत्यापन समिति में सम्बन्धित उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुचिकित्साधिकारी तथा पशुधन प्रसार अधिकारी होगें।

(ii) उक्त सत्यापन समिति द्वारा इकाईयों का सत्यापन विभिन्न चरणों के पूर्ण होने पर किया जाएगा तथा इसकी आख्या/रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप संलग्नक-7 एवं संलग्नक-8 पर प्रस्तुत की जायेगी।

9- वित्त-पोषण:

(i) इकाई की स्थापना हेतु लाभार्थी अंश, बैंक द्वारा ऋण तथा अनुदान परियोजना लागत का क्रमशः 15 प्रतिशत, 35 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत होगा।

(ii) बैंक ऋण हेतु धनराशि, अवधि इत्यादि सम्बन्धी निर्णय लाभार्थी द्वारा स्वयं लिया जायेगा तथा इसकी प्रक्रिया लाभार्थी के द्वारा ही पूर्ण की जायेगी।

(iii) अनुदान की धनराशि इकाई लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू0 11.80 लाख (रूपये ग्यारह लाख अस्सी हजार मात्र) होगी, जो दो चरणों(02 समान किश्तों) में देय होगी।

(iii) परियोजनान्तर्गत व्यय का आंकलन बाजार भाव के अनुमान पर आधारित है। अतः परियोजना लागत में किसी भी मद में होने वाले अतिरिक्त व्यय को लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा, परन्तु अनुदानित धनराशि की अधिकतम सीमा रू0 11.80 लाख तक सीमित होगी।

(iv) परियोजना के अंतर्गत दर्शाए गए उपकरण/संयंत्र इत्यादि पशुपालक/लाभार्थी के पास पूर्व से ही उपलब्ध होने की दशा में उनके उपार्जन की बाध्यता नहीं होगी, परन्तु उन उपकरणों/सयंत्रों हेतु योजना में दर्शाए गए मूल्य को योजना की धनराशि के आकलन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा तथा इसके फलस्वरूप योजना लागत में आई कुल कमी के आधार पर ही अनुदान हेतु देय धनराशि का आंकलन किया जायेगा तथा तदनुसार ही अनुदान की धनराशि देय होगी।

10- अनुदान वितरण की प्रक्रियाः

(i) प्रथम चरण में परियोजनान्तर्गत आधारभूत संरचना तैयार होने के पश्चात अनुदान की धनराशि(योजना की लागत का 25 प्रतिशत) प्राप्त किये जाने हेतु लाभार्थियों द्वारा निर्धारित प्रारूप(संलग्नक-5) पर आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात सत्यापन समिति द्वारा परियोजना/इकाई का स्थलीय सत्यापन कर निर्धारित प्रारूप(संलग्नक-7) पर अपनी रिपोर्ट/संस्तुति दी जायेगी। सत्यापन समिति की अनुशंसा पर डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी की संस्तुति प्राप्त की जायेगी। डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी की संस्तुति के आधार पर परीक्षणोपरान्त स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, नन्द बाबा दुग्ध मिशन द्वारा एक माह के भीतर एकमुश्त अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे सम्बन्धित लाभार्थी के बैंक खाते में अवमुक्त किया जायेगा।

(ii) द्वितीय चरण में परियोजनान्तर्गत 10 स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों के नियमानुसार क्रय किये जाने के पश्चात अनुदान की धनराशि(योजना की लागत का 25 प्रतिशत) प्राप्त किये जाने हेतु लाभार्थियों द्वारा निर्धारित प्रारूप(संलग्नक-6) पर आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन-पत्र प्राप्त होने के पश्चात सत्यापन समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप(संलग्नक-8) पर अपनी रिपोर्ट/संस्तुति दी जायेगी। सत्यापन समिति की अनुशंसा पर डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी की संस्तुति प्राप्त की जायेगी। डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी की संस्तुति के आधार पर परीक्षणोपरान्त स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, नन्द बाबा दुग्ध मिशन द्वारा एक माह के भीतर एकमुश्त अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे सम्बन्धित लाभार्थी के बैंक खाते में अवमुक्त किया जायेगा।

11- गाय की क्रय प्रक्रिया एवं मानदण्डः

(i) गायों का क्रय प्रदेश के बाहर से तथा यथासंभव उस नस्ल के ब्रीडिंग ट्रैक्ट से ही किया जायेगा।

(ii) क्रय की गयी गायों का संक्रामक बीमारी यथा खुरपका मुँहपका, एच0एस0(गला घोंटू) लम्पी डिसीज के सापेक्ष टीकाकरण अनिवार्य है।

(iii) गायों की इयर टैगिंग होना अनिवार्य है।

(iv) क्रय की गयी समस्त गायों का तीन वर्षों का एकमुश्त बीमा कराया जाना अनिवार्य है।

(v) क्रय किये जाने वाले स्थान/राज्य से पशुपालक द्वारा इकाई स्थापित करने के स्थान तक गाय को लाये जाने हेतु पशु ट्रांजिट बीमा कराया जाना लाभार्थी के लिए स्वैच्छिक होगा।

(vi) इयर टैगिंग सहित गाय की क्रय रसीद/रवन्ना होना अनिवार्य है।

(vii) क्रय किये जाने वाली गाय प्रथम अथवा द्वितीय ब्यात की होनी चाहिए तथा एक ब्यात चक्र में न्यूनतम 3000 लीटर दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली गाय ही अनुमन्य होगी।

(viii) क्रय की जाने वाली गायें डेढ़ माह से अधिक समय से ब्यायी न हो।

(ix) गायें रोग मुक्त एवं स्वस्थ्य होनी चाहिये।

12- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन:

(i) विकास खण्ड स्तर- संबन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं पशुचिकित्साधिकारी द्वारा इकाई की स्थापना होने पर प्रथम तीन माह में प्रतिमाह संयुक्त स्थलीय सत्यापन किया जायेगा तथा रिपोर्ट मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। इसके पश्चात प्रति तीन माह पर सत्यापन किया जायेगा।

(ii) जनपद स्तर- जनपद स्तरीय समिति(मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, लीड बैंक मैनेजर एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी) द्वारा कुल स्थापित इकाईयों में से कम से कम 20 प्रतिशत इकाईयों का त्रैमासिक आधार पर स्थलीय सत्यापन किया जायेगा तथा रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

विभिन्न स्तरों से प्राप्त स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर संकलित सूचना के साथ योजना की उपादेयता पर स्पष्ट सुझाव आदि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश को ससमय प्रेषित किया जायेगा।

(iii) मुख्यालय स्तर- योजना की उपादेयता पर जनपद स्तर से प्राप्त मासिक प्रतिवेदन/टिप्पणी/संस्तुति/सुझाव के आधार पर निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के स्तर से परीक्षणोपरान्त अपेक्षित कार्यवाही हेतु संस्तुति मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन को प्रेषित की जायेगी।

13- विवाद निस्तारण:

यदि इकाई स्थापित करने के दौरान लाभार्थी एवं राज्य सरकार के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निस्तारण सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा जिलाधिकारी का निर्णय ही अन्तिम माना जायेगा।

14- मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रेषण:

- जनपद स्तर से निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त मासिक प्रगति प्रतिवेदन निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग को प्रत्येक माह की 3 तारीख को निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-9) पर प्रेषित किया जायेगा।

➢ पशुपालन निदेशालय स्तर पर नन्द बाबा मिशन सेल द्वारा जनपद स्तर से प्राप्त मासिक प्रतिवेदन की समीक्षा/परीक्षण कर योजना की प्रगति, उपादेयता, सफलता की कहानियों के साथ-साथ तकनीकी पहलुओं से मिशन निदेशक, नन्द बाबा दुग्ध मिशन को प्रत्येक माह अवगत कराया जायेगा।

अतएव उपर्युक्त के आलोक में "मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना" के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

Signed by
"RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
Date: 22-10-2024 21:15:55

(के० रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

संख्या-929(1)/53-2-2024, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, पशुधन, वित्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास/नन्द बाबा दुग्ध मिशन, उत्तर प्रदेश।
(7) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

U. P. P. W. D.

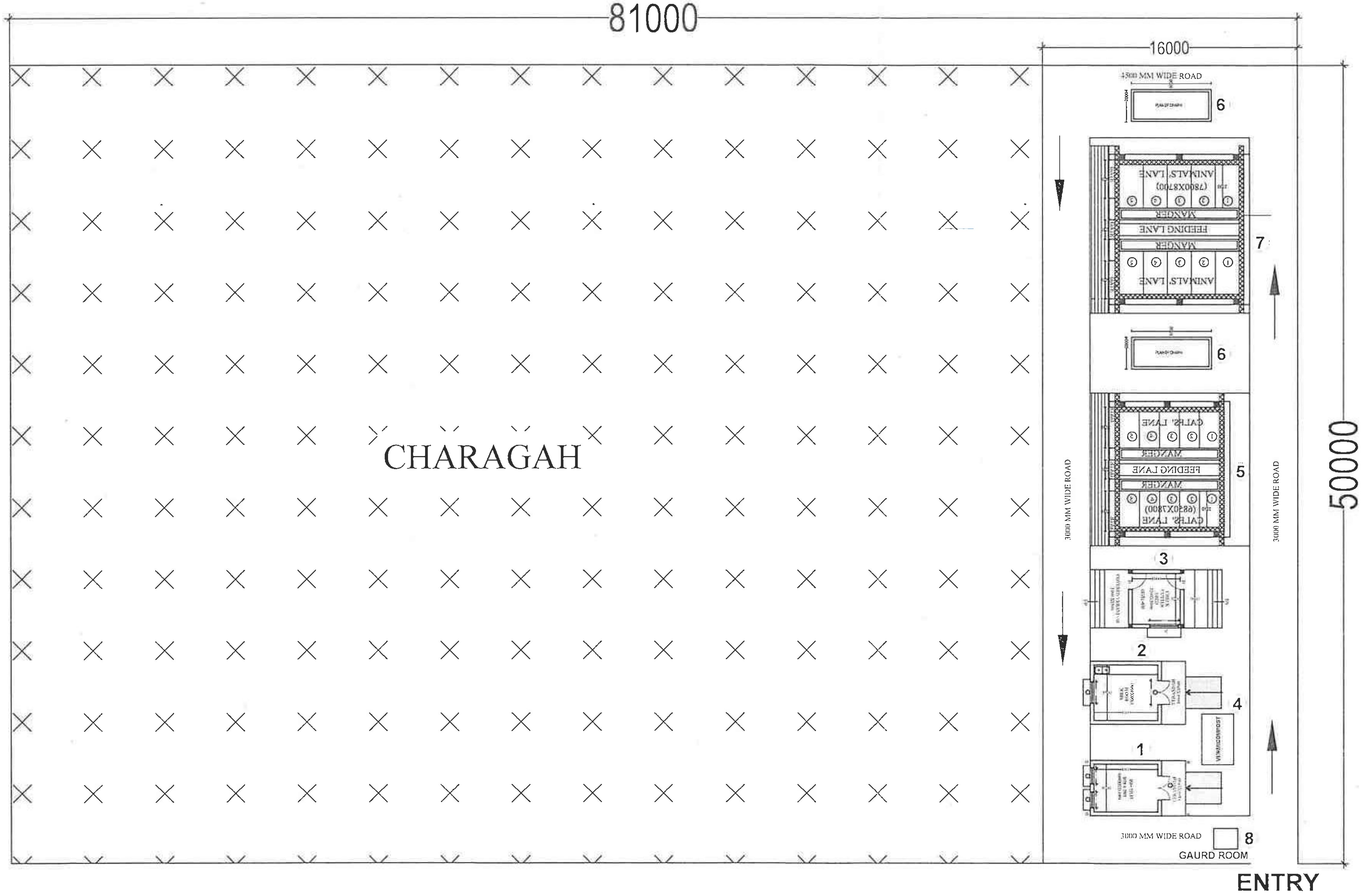

PROPOSED COW DAIRY(10 CAPACITY)

NOTES :-

1. ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN MM.
2. ALL WRITTEN DIMENSIONS SHOULD BE FOLLOWED.
3. DRAWINGS SHOULD BE CHECKED AND VERIFIED AS PER SITE CONDITION BEFORE EXECUTION OF THE WORK BY THE EXECUTIVE ENGINEER CONCERNED.
4. ANY DISCREPANCY FOUND IN THE DRAWING SHOULD BE BROUGHT TO THE NOTICE OF THE ARCHITECT CONCERNED.
5. BEFORE EXECUTION OF WORK THE E.E. PWD CONCERNED SHOULD GET THE APPROVAL OF COMPETENT AUTHORITY ON THESE DRAWINGS.
6. SIZE AND DESIGN OF COLUMNS SHALL BE AS PER THE STRUCTURAL DESIGN. DETAIL OF TRUSS, BEAMS, SLAB & FOUNDATION SHALL BE AS PER THE STRUCTURAL DESIGN.

LEGEND

1- HAY GODOWN	- 20.62 SQ.MT. (01 NO.)
2- MILK ROOM	- 23.60 SQ.MT. (01 NO.)
3- CHECK CUTTER SHED	- 23.64 SQ.MT. (01 NO.)
4-VERMICOMPOST PIT	- (01 NO.)
5- CALF SHED	- 64.18 SQ.MT. (01 NO.)
6- CHARHI	- 10.00 SQ.MT. (02 NOS.)
7- ANIMAL SHED	- 82.72 SQ.MT.(01 NO.)
8- GAURD ROOM	- (01 NO.)

FOR APPROVAL

DRG. No.	PROPOSED COW DAIRY UNDER NAND BABA DUDGH MISSION(10 CAPACITY)
DATE 12-09-2024	
DRAWN BY MEENA	PROPOSED SITE LAYOUT
SABEENA SINGH CHIEF ARCHITECT	VASTUVID VARG KARYALAYA PRAMUKH ABHIYANTA LOK NIRMAN VIBHAG , U.P. LUCKNOW

VANDANA PATEL ASST. ARCHITECT	BRIJESH KUMAR ARCHITECT	SABEENA SINGH SR. ARCHITECT

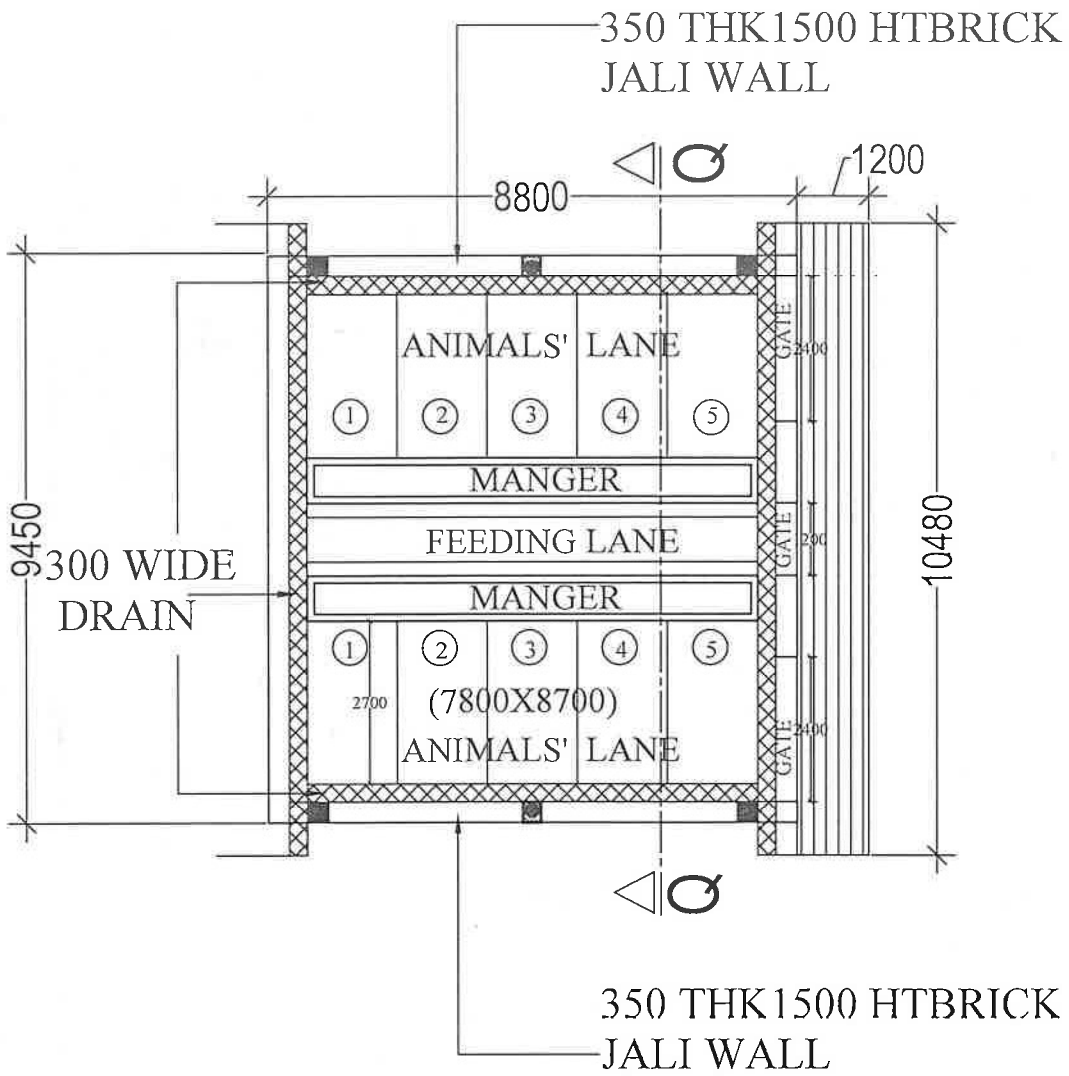

PLAN

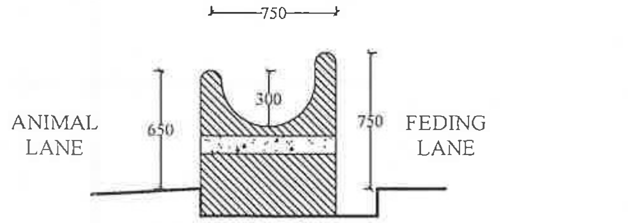

MANGER DETAIL OF ADULT COW SHED

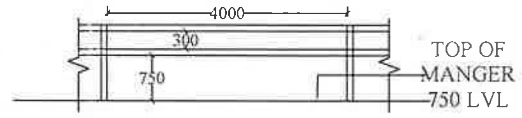

DETAIL OF 100 Ø IRON PIPE RAILING

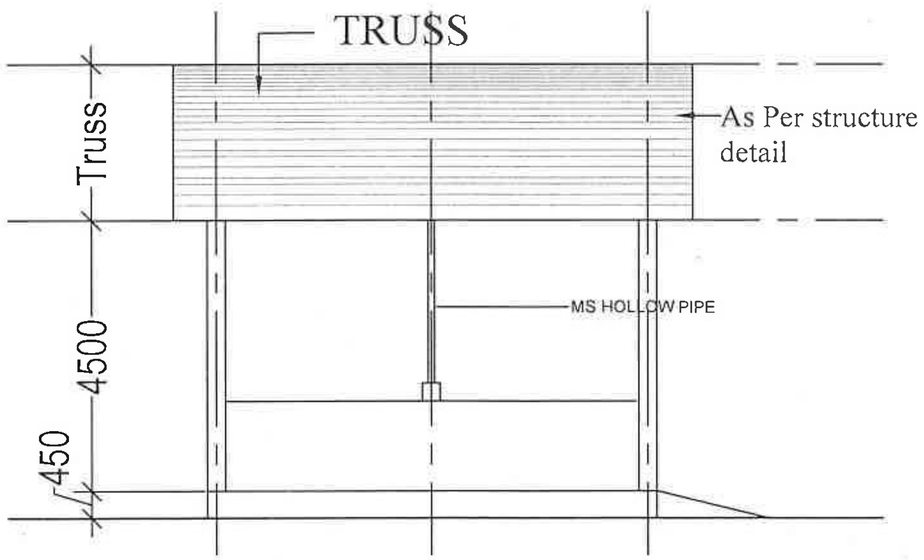

SIDE ELEVATION WITH MS HOLLOW PIPS

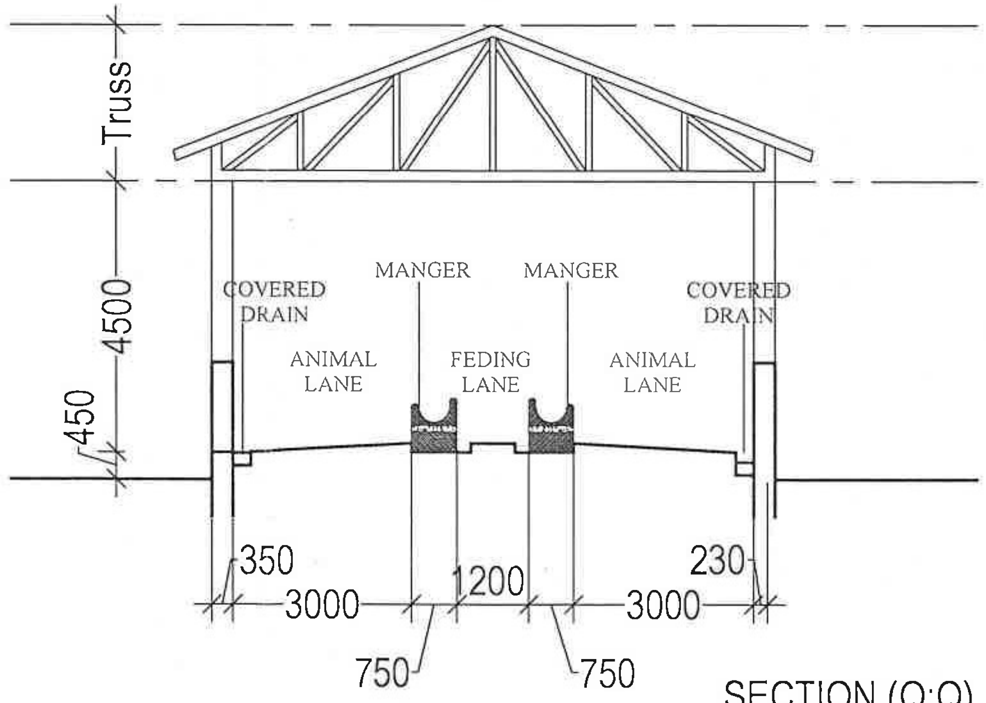

SECTION (Q:Q)

U. P. P. W. D.

PROPOSED COW DAIRY(10 CAPACITY)

NOTES :-
1. ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN MM.
2. ALL WRITTEN DIMENSIONS SHOULD BE FOLLOWED.
3. DRAWINGS SHOULD BE CHECKED AND VERIFIED AS PER SITE CONDITION BEFORE EXECUTION OF THE WORK BY THE EXECUTIVE ENGINEER CONCERNED.
4. ANY DISCREPANCY FOUND IN THE DRAWING SHOULD BE BROUGHT TO THE NOTICE OF THE ARCHITECT CONCERNED.
5. BEFORE EXECUTION OF WORK THE E.E. PWD CONCERNED SHOULD GET THE APPROVAL OF COMPETENT AUTHORITY ON THESE DRAWINGS.
6. SIZE AND DESIGN OF COLUMNS SHALL BE AS PER THE STRUCTURAL DESIGN. DETAIL OF TRUSS, BEAMS, SLAB & FOUNDATION SHALL BE AS PER THE STRUCTURAL DESIGN.

FOR APPROVAL

DRG. NO.	PROPOSED COW DAIRY UNDER NAND BABA DUGDH MISSION(10 CAPACITY)
DATE 12-09-2024	
DRAWN BY MEENA	PROPOSED ANIMAL SHED
SABEENA SINGH CHIEF ARCHITECT	VASTUVID VARG KARYALAYA PRAMUKH ABHIYANTA LOK NIRMAN VIBHAG , U.P. LUCKNOW

VANDANA PATEL ASST. ARCHITECT	BRIJESH KUMAR ARCHITECT	SABEENA SINGH SR. ARCHITECT

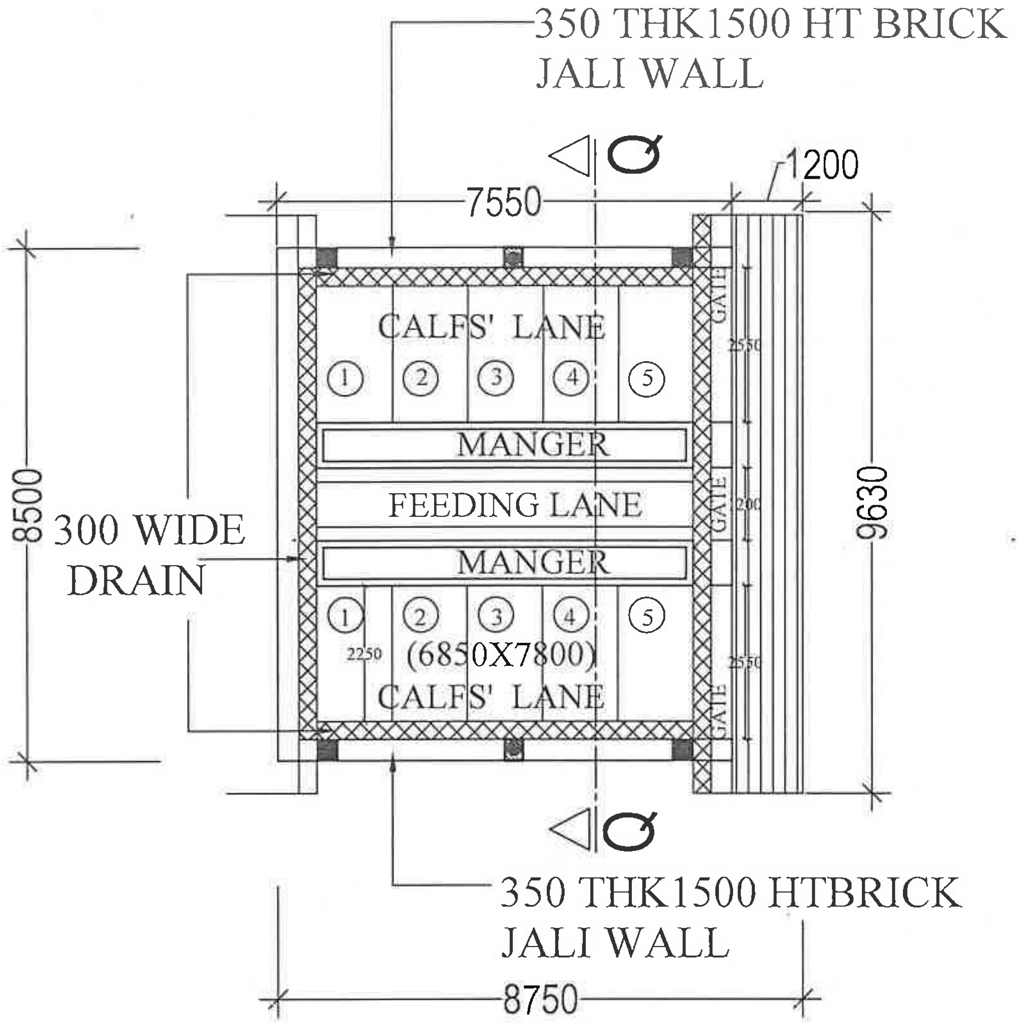

PLAN

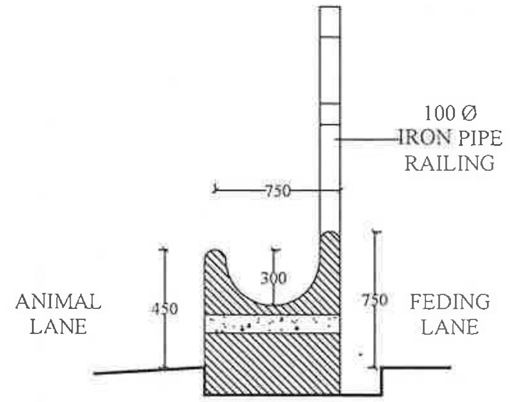

MANGER DETAIL OF CALF SHED

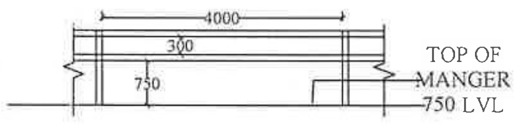

DETAIL OF 100 Ø IRON PIPE RAILING

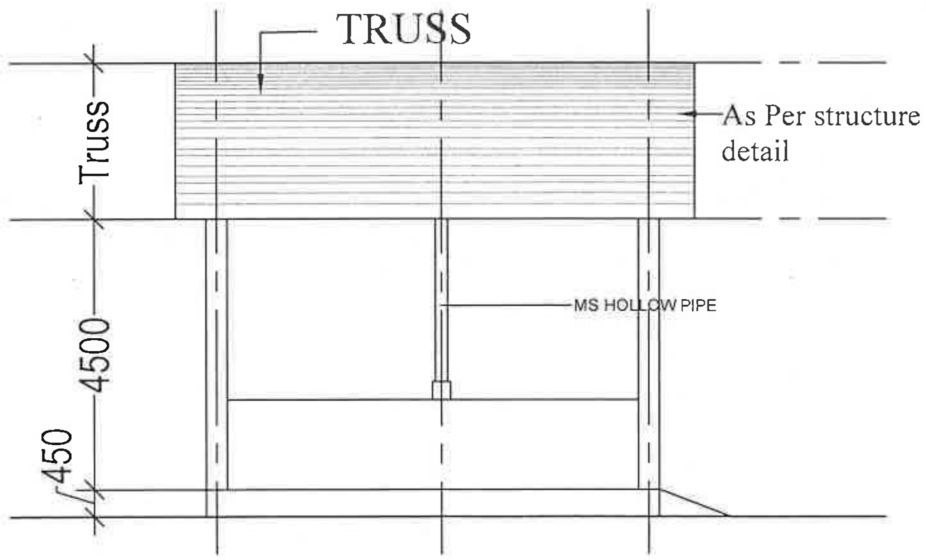

SIDE ELEVATION WITH MS HOLLOW PIPS

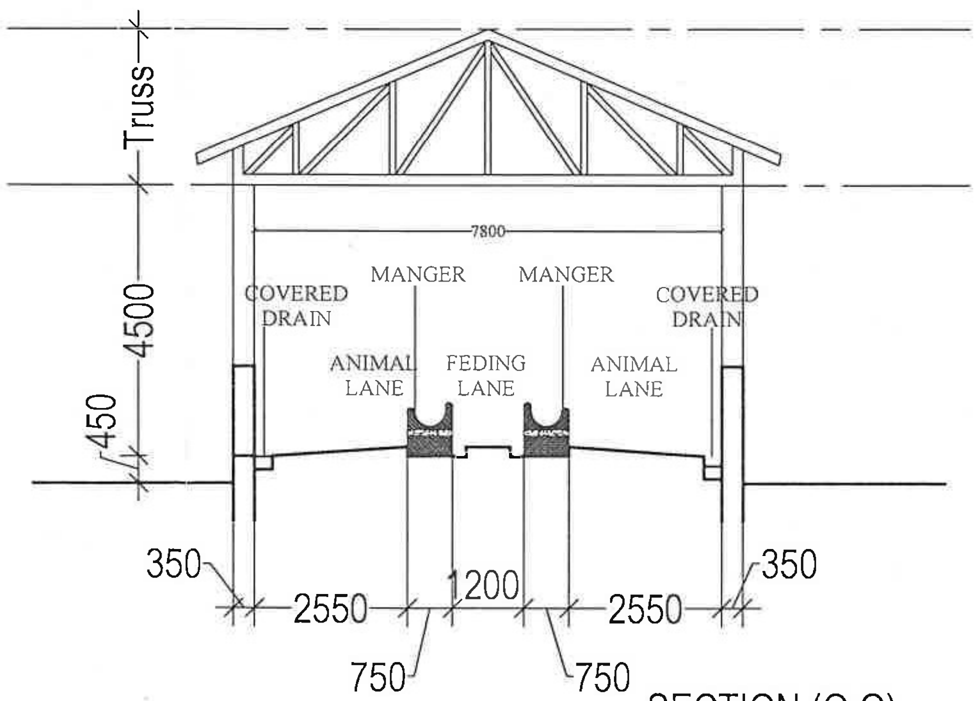

SECTION (Q:Q)

U. P. P. W. D.

PROPOSED COW DAIRY(10 CAPACITY)

NOTES :-

1. ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN MM.
2. ALL WRITTEN DIMENSIONS SHOULD BE FOLLOWED.
3. DRAWINGS SHOULD BE CHECKED AND VERIFIED AS PER SITE CONDITION BEFORE EXECUTION OF THE WORK BY THE EXECUTIVE ENGINEER CONCERNED.
4. ANY DISCREPANCY FOUND IN THE DRAWING SHOULD BE BROUGHT TO THE NOTICE OF THE ARCHITECT CONCERNED.
5. BEFORE EXECUTION OF WORK THE E.E. PWD CONCERNED SHOULD GET THE APPROVAL OF COMPETENT AUTHORITY ON THESE DRAWINGS.
6. SIZE AND DESIGN OF COLUMNS SHALL BE AS PER THE STRUCTURAL DESIGN. DETAIL OF TRUSS, BEAMS, SLAB & FOUNDATION SHALL BE AS PER THE STRUCTURAL DESIGN.

FOR APPROVAL

DRG. NO.	PROPOSED COW DAIRY UNDER NAND BABA DUGDH MISSION(10 CAPACITY)
DATE 12-09-2024	
DRAWN BY MEENA	PROPOSED CALF SHED
SABEENA SINGH CHIEF ARCHITECT	VASTUVID VARG KARYALAYA PRAMUKH ABHIYANTA LOK NIRMAN VIBHAG , U.P. LUCKNOW

VANDANA PATEL ASST. ARCHITECT	BRIJESH KUMAR ARCHITECT	SABEENA SINGH SR. ARCHITECT

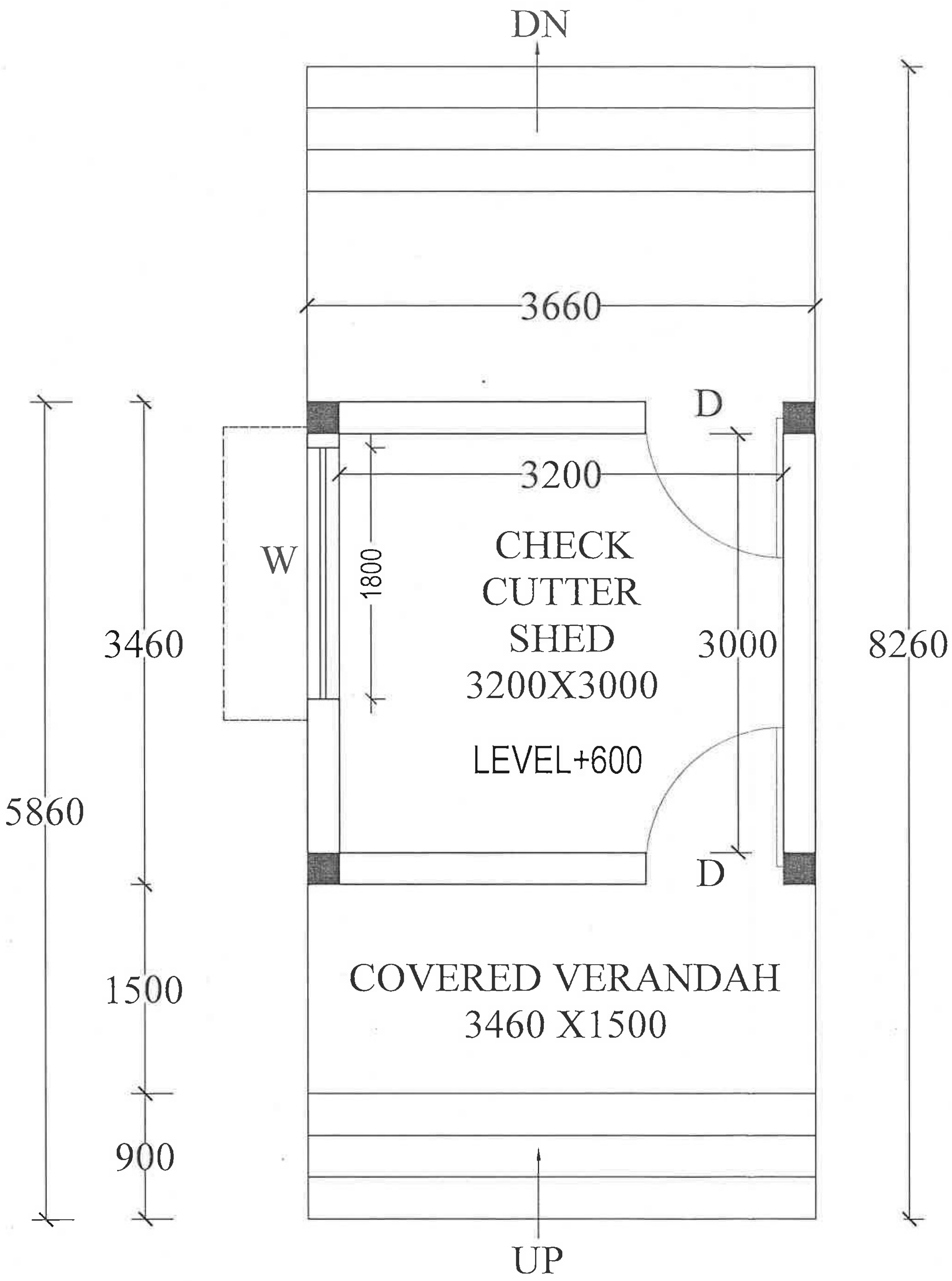

U. P. P. W. D.

PROPOSED COW DAIRY(10 CAPACITY)

NOTES :-

1. ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN MM.
2. ALL WRITTEN DIMENSIONS SHOULD BE FOLLOWED.
3. DRAWINGS SHOULD BE CHECKED AND VERIFIED AS PER SITE CONDITION BEFORE EXECUTION OF THE WORK BY THE EXECUTIVE ENGINEER CONCERNED.
4. ANY DISCREPANCY FOUND IN THE DRAWING SHOULD BE BROUGHT TO THE NOTICE OF THE ARCHITECT CONCERNED.
5. BEFORE EXECUTION OF WORK THE E.E. PWD CONCERNED SHOULD GET THE APPROVAL OF COMPETENT AUTHORITY ON THESE DRAWINGS.
6. SIZE AND DESIGN OF COLUMNS SHALL BE AS PER THE STRUCTURAL DESIGN. DETAIL OF TRUSS, BEAMS, SLAB & FOUNDATION SHALL BE AS PER THE STRUCTURAL DESIGN.

FOR APPROVAL

DRG. NO.	PROPOSED COW DAIRY UNDER NAND BABA DUGDH MISSION(10 CAPACITY)
DATE 12-09-2024	
DRAWN BY MEENA	PROPOSED CHECK CUTTER SHED
SABEENA SINGH CHIEF ARCHITECT	VASTUVID VARG KARYALAYA PRAMUKH ABHIYANTA LOK NIRMAN VIBHAG , U.P. LUCKNOW

VANDANA PATEL ASST. ARCHITECT	BRIJESH KUMAR ARCHITECT	SABEENA SINGH SR. ARCHITECT

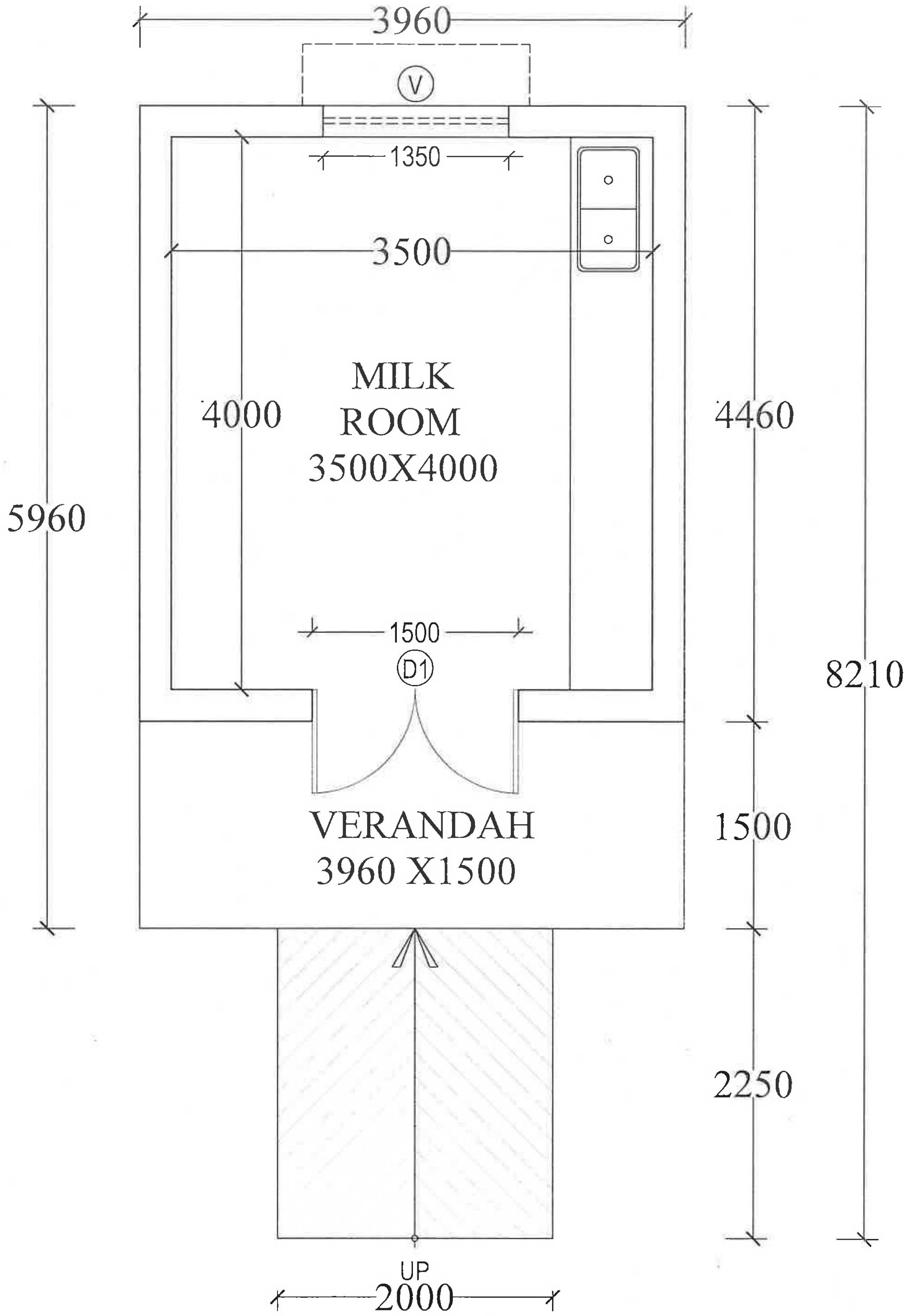

PLAN

U. P. P. W. D.

PROPOSED COW DAIRY(10 CAPACITY)

NOTES :-

1. ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN MM.
2. ALL WRITTEN DIMENSIONS SHOULD BE FOLLOWED.
3. DRAWINGS SHOULD BE CHECKED AND VERIFIED AS PER SITE CONDITION BEFORE EXECUTION OF THE WORK BY THE EXECUTIVE ENGINEER CONCERNED.
4. ANY DISCREPANCY FOUND IN THE DRAWING SHOULD BE BROUGHT TO THE NOTICE OF THE ARCHITECT CONCERNED.
5. BEFORE EXECUTION OF WORK THE E.E. PWD CONCERNED SHOULD GET THE APPROVAL OF COMPETENT AUTHORITY ON THESE DRAWINGS.
6. SIZE AND DESIGN OF COLUMNS SHALL BE AS PER THE STRUCTURAL DESIGN. DETAIL OF TRUSS, BEAMS, SLAB & FOUNDATION SHALL BE AS PER THE STRUCTURAL DESIGN.

FOR APPROVAL

DRG. NO.	PROPOSED COW DAIRY UNDER NAND BABA DUGDH MISSION(10 CAPACITY)
DATE 12-09-2024	
DRAWN BY MEENA	PROPOSED MILK ROOM
SABEENA SINGH CHIEF ARCHITECT	VASTUVID VARG KARYALAYA PRAMUKH ABHIYANTA LOK NIRMAN VIBHAG , U.P. LUCKNOW

VANDANA PATEL ASST. ARCHITECT	BRIJESH KUMAR ARCHITECT	SABEENA SINGH SR. ARCHITECT

U. P. P. W. D.

PROPOSED COW DAIRY(10 CAPACITY)

NOTES :-
1. ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN MM.
2. ALL WRITTEN DIMENSIONS SHOULD BE FOLLOWED.
3. DRAWINGS SHOULD BE CHECKED AND VERIFIED AS PER SITE CONDITION BEFORE EXECUTION OF THE WORK BY THE EXECUTIVE ENGINEER CONCERNED.
4. ANY DISCREPANCY FOUND IN THE DRAWING SHOULD BE BROUGHT TO THE NOTICE OF THE ARCHITECT CONCERNED.
5. BEFORE EXECUTION OF WORK THE E.E. PWD CONCERNED SHOULD GET THE APPROVAL OF COMPETENT AUTHORITY ON THESE DRAWINGS.
6. SIZE AND DESIGN OF COLUMNS SHALL BE AS PER THE STRUCTURAL DESIGN. DETAIL OF TRUSS, BEAMS, SLAB & FOUNDATION SHALL BE AS PER THE STRUCTURAL DESIGN.

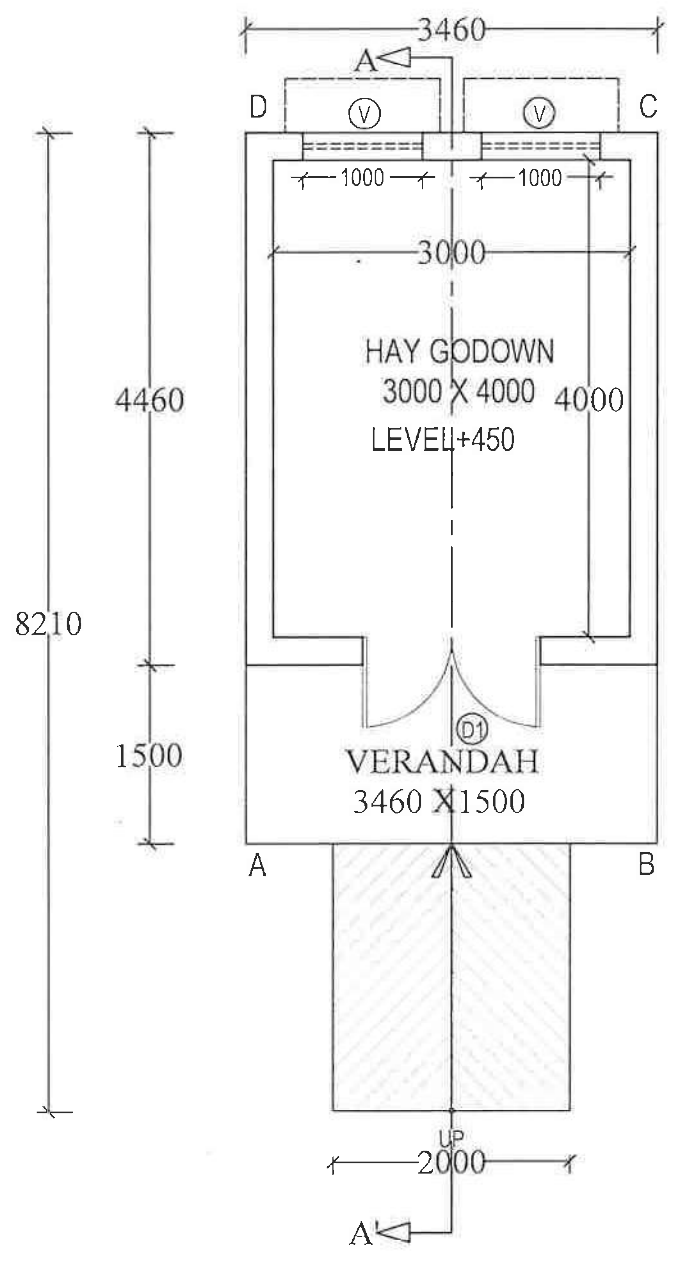

PLAN

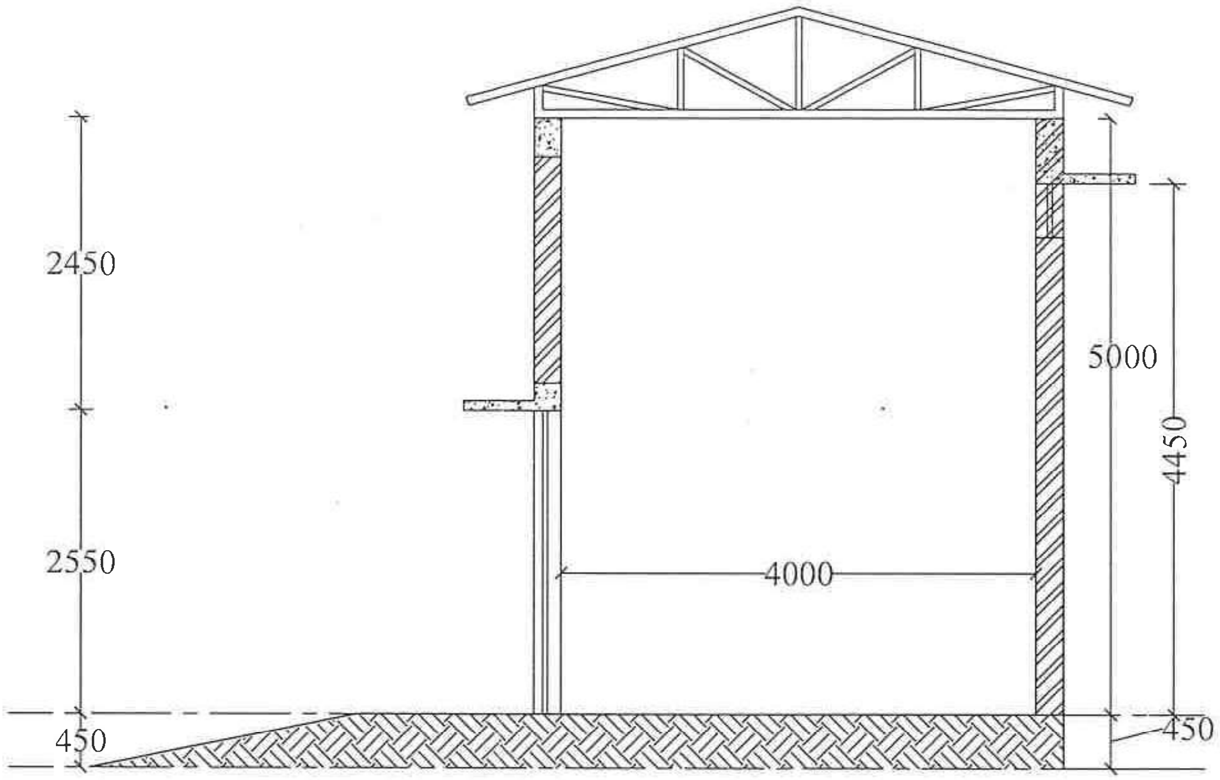

SECTION AA'

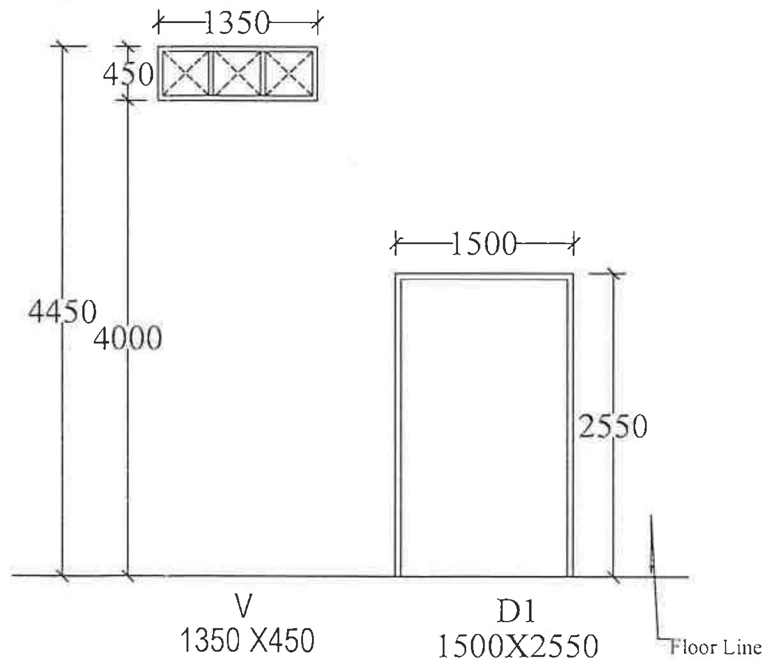

V
1350 X450

D1
1500X2550

FOR APPROVAL

DRG. NO.	PROPOSED COW DAIRY UNDER NAND BABA DUGDH MISSION(10 CAPACITY)
DATE 12-09-2024	
DRAWN BY MEENA	PROPOSED PLAN & SECTION OF HAY GODOWN
SABEENA SINGH CHIEF ARCHITECT	VASTUVID VARG KARYALAYA PRAMUKH ABHIYANTA LOK NIRMAN VIBHAG , U.P. LUCKNOW

VANDANA PATEL ASST. ARCHITECT	BRIJESH KUMAR ARCHITECT	SABEENA SINGH SR. ARCHITECT

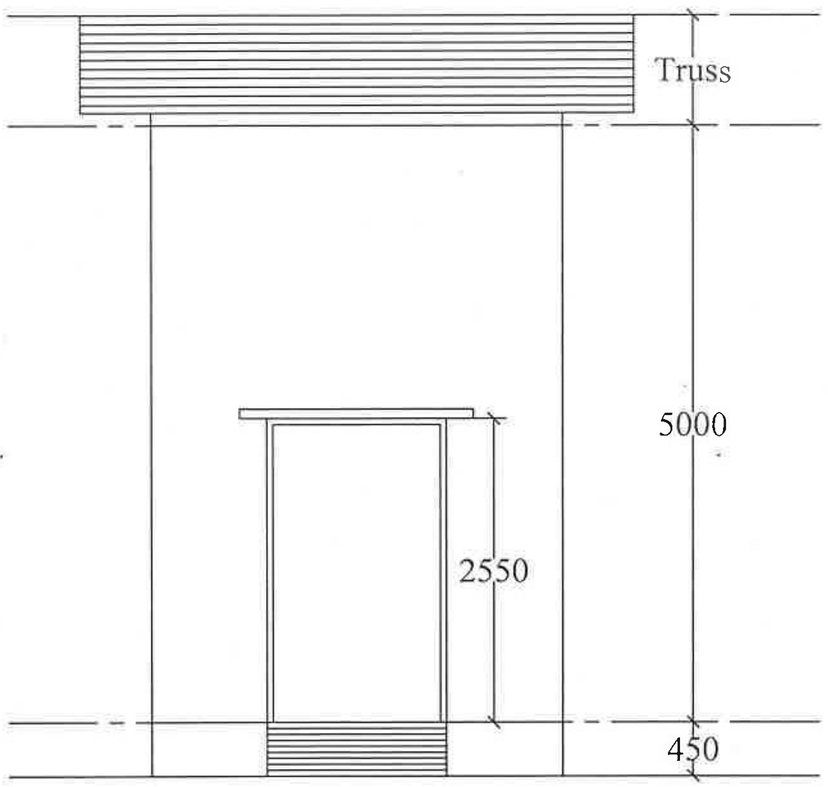

ELEVATION AB

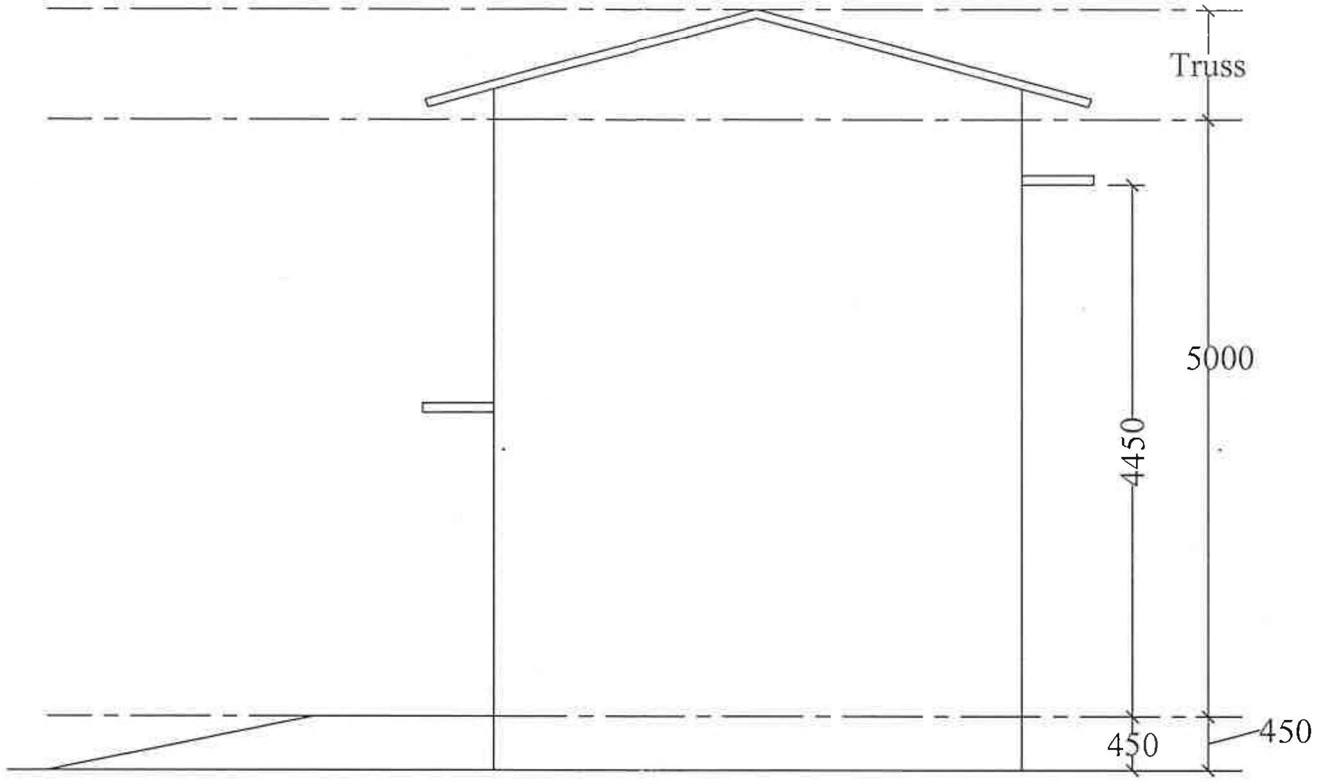

ELEVATION BC

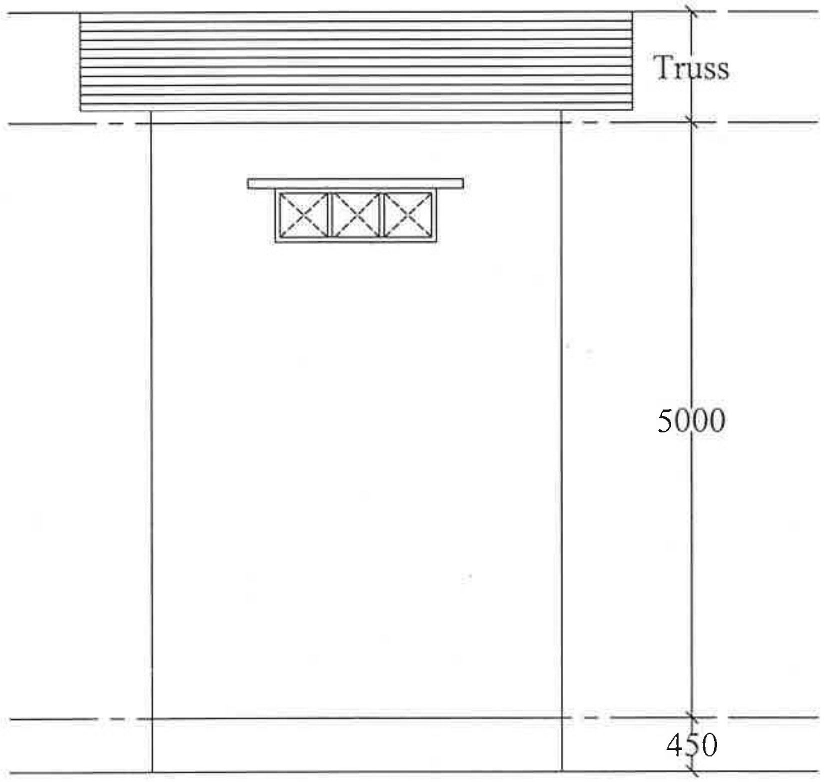

ELEVATION CD

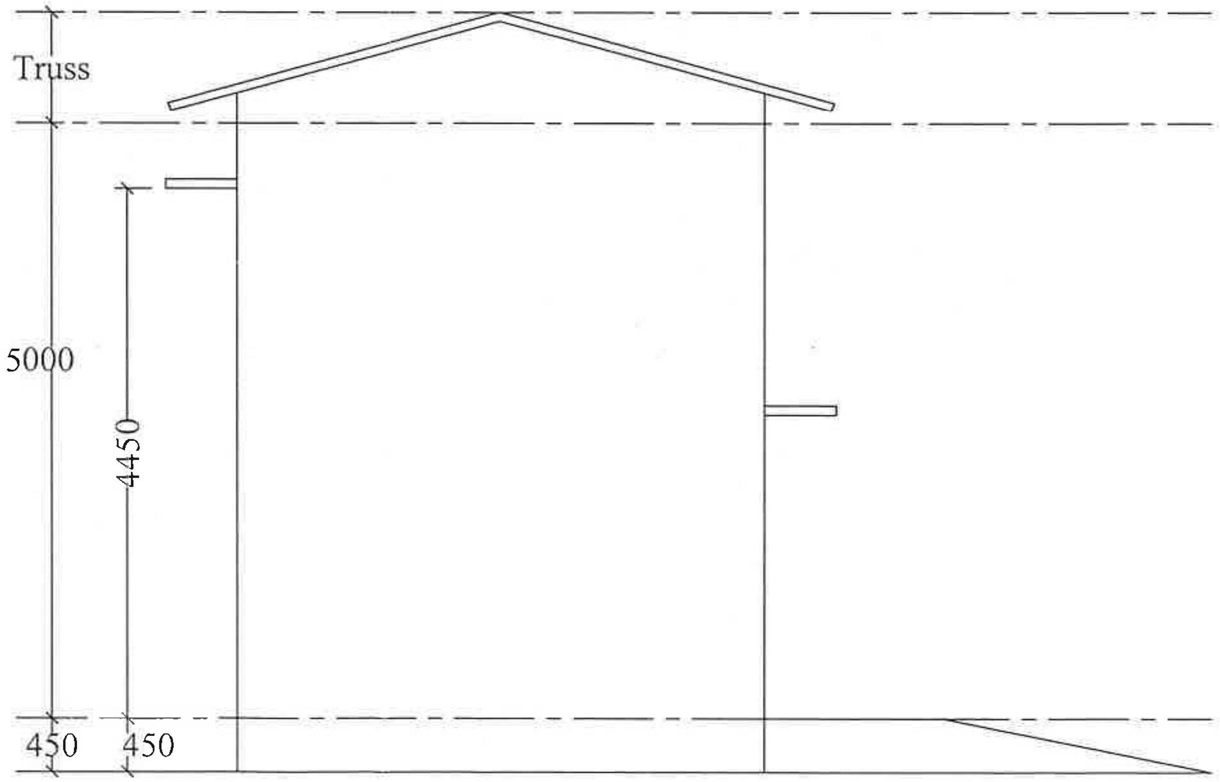

ELEVATION DA

U. P. P. W. D.

PROPOSED COW DAIRY(10 CAPACITY)

NOTES :-
1. ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN MM.
2. ALL WRITTEN DIMENSIONS SHOULD BE FOLLOWED.
3. DRAWINGS SHOULD BE CHECKED AND VERIFIED AS PER SITE CONDITION BEFORE EXECUTION OF THE WORK BY THE EXECUTIVE ENGINEER CONCERNED.
4. ANY DISCREPANCY FOUND IN THE DRAWING SHOULD BE BROUGHT TO THE NOTICE OF THE ARCHITECT CONCERNED.
5. BEFORE EXECUTION OF WORK THE E.E. PWD CONCERNED SHOULD GET THE APPROVAL OF COMPETENT AUTHORITY ON THESE DRAWINGS.
6. SIZE AND DESIGN OF COLUMNS SHALL BE AS PER THE STRUCTURAL DESIGN. DETAIL OF TRUSS, BEAMS, SLAB & FOUNDATION SHALL BE AS PER THE STRUCTURAL DESIGN.

FOR APPROVAL

DRG. NO.	PROPOSED COW DAIRY UNDER NAND BABA DUGDH MISSION(10 CAPACITY)
DATE 12-09-2024	
DRAWN BY MEENA	PROPOSED PLAN & SECTION OF HAY GODOWN
SABEENA SINGH CHIEF ARCHITECT	VASTUVID VARG KARYALAYA PRAMUKH ABHIYANTA LOK NIRMAN VIBHAG, U.P. LUCKNOW

VANDANA PATEL ASST. ARCHITECT	BRIJESH KUMAR ARCHITECT	SABEENA SINGH SR. ARCHITECT

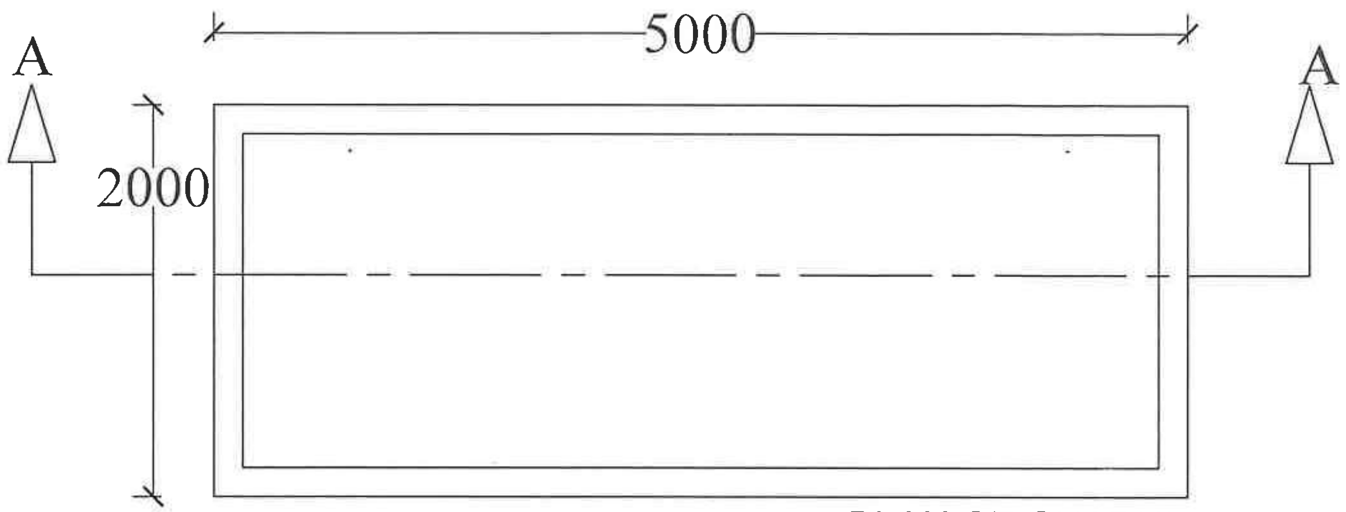

PLAN OF CHARHI

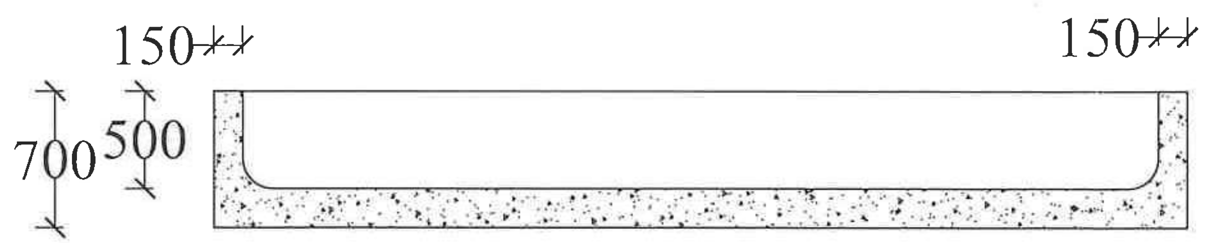

SECTION AA'

U. P. P. W. D.

PROPOSED COW DAIRY(10 CAPACITY)

NOTES :-
1. ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN MM.
2. ALL WRITTEN DIMENSIONS SHOULD BE FOLLOWED.
3. DRAWINGS SHOULD BE CHECKED AND VERIFIED AS PER SITE CONDITION BEFORE EXECUTION OF THE WORK BY THE EXECUTIVE ENGINEER CONCERNED.
4. ANY DISCREPANCY FOUND IN THE DRAWING SHOULD BE BROUGHT TO THE NOTICE OF THE ARCHITECT CONCERNED.
5. BEFORE EXECUTION OF WORK THE E.E. PWD CONCERNED SHOULD GET THE APPROVAL OF COMPETENT AUTHORITY ON THESE DRAWINGS.
6. SIZE AND DESIGN OF COLUMNS SHALL BE AS PER THE STRUCTURAL DESIGN. DETAIL OF TRUSS, BEAMS, SLAB & FOUNDATION SHALL BE AS PER THE STRUCTURAL DESIGN.

FOR APPROVAL

DRG. NO. DATE 12-09-2024	PROPOSED COW DAIRY UNDER NAND BABA DUGDH MISSION(10 CAPACITY)
DRAWN BY MEENA	PROPOSED PLAN & SECTION OF CHARHI
SABEENA SINGH CHIEF ARCHITECT	VASTUVID VARG KARYALAYA PRAMUKH ABHIYANTA LOK NIRMAN VIBHAG , U.P. LUCKNOW

VANDANA PATEL ASST. ARCHITECT	BRIJESH KUMAR ARCHITECT	SABEENA SINGH SR. ARCHITECT

संलग्नक–2

पूंजीगत व्यय

मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना की स्थापना लागतः–

(1) गोवंश क्रय पर व्यय

क्र0 सं0	गोवंश क्रय व्यय विचरण	अनुमानित लागत (रू0 1,00,000 प्रति गोवंश) धनराशि रूपए में
1	10 दुधारू गोवंश (साहीवाल, गिर, अथवा थारपारकर)	10,00,000
2	गोवंश यातायात पर व्यय	
3	गोवंश बीमा 3 वर्ष हेतु	

(2) आधारभूत संरचना पर व्यय

(अ) भवन/शेड निर्माण

क्र0सं0	डेयरी आधारभूत संरचना	अनुमानित धनराशि रूपये में
1	पशु आवास (कैटिल शेड) पर व्यय प्रति वयस्क गोवंश हेतु 50 वर्ग फुट रू0 800.00 प्रति वर्ग फुट की अनुमानित दर से (10 गोवंश)	4,00,000
2	काफ शेड/हीफर शेड पर व्यय 30 वर्ग फुट प्रति हीफर, रू0 800.00 प्रति वर्ग फुट की अनुमानित दर से (10 हीफर के लिए)	2,40,000
3	फीड गोडाउन (12×10 वर्ग फुट) रू0 800.00 प्रति वर्ग फुट की अनुमानित दर से	96,000
4	मिल्क रूम (10×15 वर्ग फुट) रू0 1,626.00 प्रति वर्ग फुट की अनुमानित दर से	2,44,000
5	चैफ कटर शेड (10×10 वर्ग फुट) रू0 510.00 प्रति वर्ग फुट की अनुमानित दर से	51,000
6	भूमि विकास, चाहरदिवारी (फेंसिंग–चेन लिंक)– कटिले तार मान्य नहीं हैं, मेन गेट	1,00,000
	योग	**11,31,000**

(ब) उपकरण

क्र0सं0	उपकरण	अनुमानित धनराशि रूपये में
1	जेट सबमर्सिबल पम्प	60,000
2	पानी टंकी 2000 ली0 क्षमता	12,000
3	पावर चैफ कटर	30,000
4	मिल्क केन्स–2 / रू0 5000 प्रति	10,000
5	वेइंग मशीन–1	5,000
6	मिल्किंग मशीन–1	60,000
7	मेजरिंग किट–2 एंव मिल्क बकेट–2	2,000
8	वील बैरो ट्राली–1 / रू0 5000 प्रति	5,000
9	वर्मी कम्पोस्ट इकाई	20,000
10	अन्य व्यय	25,000
	योग	**2,29,000**

इकाई स्थापना की कुल लागतः

क्र0सं0	विवरण	धनराशि रूपये में
1	गोवंश क्रय पर व्यय	10,00,000
2	आधारभूत संरचना पर व्यय	11,31,000
3	उपकरण पर व्यय	2,29,000
	योग	23,60,000
		रू0 तेइस लाख साठ हजार मात्र

संचालन पर व्यय

10 गोवंश पर एक दिन के लिए चारे एवं दाने पर होने वाला व्ययः–

क्र0सं0	विवरण	दुग्धकाल		शुष्ककाल	
		कि0ग्रा0	धनराशि (रू0)	कि0ग्रा0	धनराशि (रू0)
1	हरा चारा (@ 20 कि.ग्रा./गोवंश/दिन) दर रू0 2.5/कि.ग्रा.	200	500	100	250
2	सूखा चारा (@ 5 कि.ग्रा./गोवंश/दिन) दर रू0 10.00/कि.ग्रा.	50	500	60	600
3	पशु आहार (@ औसत 4 कि.ग्रा. /गोवंश/दिन) दर रू0 25. 00/कि.ग्रा.	40	1000	10	250
	कुल	**290**	**2000**	**170**	**1100**

10 गोवंश एवं उनके संतति पर एक वर्ष मे चारा एवं पशु आहार पर होने वाला व्ययः–

- ❖ प्रथम वर्ष मे दुग्धकाल 250 दिवस एंव शुष्ककाल 115 दिवस आंकलित है।
- ❖ द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष एंव पंचम वर्ष मे दुग्धकाल 280 दिवस एंव शुष्ककाल 85 दिवस आंकलित है।
- ❖ गोवत्सों के आहार का एक वर्ष हेतु व्यय का आंकलन औसत रू0 50 प्रतिदिन की दर से किया गया है।

(धनराशि रू0 में)

क्र0सं0	विवरण	वर्ष				
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम
1	हरा चारा	1,53,750	1,61,250	1,61,250	1,61,250	1,61,250
2	सूखा चारा	1,94,000	1,91,000	1,91,000	1,91,000	1,91,000
3	पशु आहार	2,78,750	3,01,250	3,01,250	3,01,250	3,01,250
4	गोवत्सों के आहार पर अनुमानित व्यय रू0 50/दिन	1,82,500	1,82,500	1,82,500	1,82,500	1,82,500
	योग	809000	1019000	1019000	1019000	1019000

आवर्ती व्यय

(धनराशि रू0 में)

क्र0सं0	विवरण	वर्ष					
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	योग
1	गोवंश आहार चारे पर व्यय	8,09,000	10,19,000	10,19,000	10,19,000	10,19,000	48,85,000
2	गोवंश चिकित्सा पर व्यय	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000
3	श्रमिक पर व्यय / 400 प्रति दिन तथा 10% वार्षिक वृद्धि	12,000	13,200	14,520	15,972	17,569	73,261
योग		8,31,000	10,42,200	10,43,520	10,44,972	10,46,569	50,08,261

10 दुधारू गोवंश से वर्षवार प्राप्त दूध लीटर मे एंव दूध विक्रय से प्राप्त धनराशि का विवरणः–

क्र0सं0	वर्ष	कुल दुग्ध उत्पादन 10 लीटर प्रति गोवंश प्रति दिवस की दर से	वर्षवार कुल विक्रय मूल्य (प्रथम वर्ष मे रू0 47 प्रति ली0 तथा आगामी वर्षो में रू0 1 प्रति ली0 प्रतिवर्ष की वृद्धि दर से धनराशि रू0 में)
1	प्रथम	27,500	12,92,500
2	द्वितीय	30,000	14,40,000
3	तृतीय	30,000	14,70,000
4	चतुर्थ	30,000	15,00,000
5	पंचम	30,000	15,30,000

आय विवरण

(धनराशि रू0 में)

क्र0 सं0	आय व्यय विवरण	वर्ष					
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	योग
1	उत्पादित दूध विपणन से आय	12,92,500	14,40,000	14,70,000	15,00,000	15,30,000	**72,32,500**
2	खाद की बिक्री से आय (दर रू0 8000.00 प्रति गोवंश/प्रति वर्ष)	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	**4,00,000**
3	5 मादा संतति के विकय से आय/रू0 15000/ मादा संतति द्वितीय वर्श से	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	**3,00,000**
कुल आय		14,47,500	15,95,000	16,25,000	16,55,000	16,85,000	**79,32,500**

क्र0 सं0	आय व्यय विवरण	वर्ष					
		प्रथम	**द्वितीय**	**तृतीय**	**चतुर्थ**	**पंचम**	**योग**
1	कुल आय	14,47,500	15,95,000	16,25,000	16,55,000	16,85,000	**79,32,500**
2	(–)कुल व्यय	8,31,000	10,42,200	10,43,520	10,44,972	10,46,569	**50,08,261**
3	शुद्ध लाभ (रू0)	6,16,500	5,52,800	5,81,480	6,10,028	6,38,431	**29,24,239**

संलग्नक–04

" मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना"
आवेदन पत्र का प्रारूप

(सम्बंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अथवा मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय में जमा की जाय)

कार्यालय के उपयोगार्थ

आवेदन संख्या–

दिनांक–

....

आवेदक द्वारा भरे जायेगें

1–आवेदक का नाम...

2–आवेदक के पिता/पति का नाम...

3–शैक्षणिक योग्यता–...

4–लिंग पुरूष ☐ महिला ☐

5–आधार संख्या–

6–उम्र–वर्ष–माह–दिन–(आयु सीमा 18वर्ष से 60वर्ष तक) ☐ ☐ ☐

7– आवेदक का पता ....

....

....

पिन– ☐

8–मोबाईल/दूरभाष

9–बैंक खातासंख्या ....

10–आवेदक/आवेदक के परिवार के पास डेयरी इकाई स्थापित करने हेतु उपलब्ध स्वंय की भूमि/पंजीकृत अनुबंध (न्यूनतम 07 वर्षों के लिए) भूमि (एकड़ में) ....

11–हरा चारा उगाने हेतु कृषि योग्य उपलब्ध स्वंय की भूमि/पंजीकृत अनुबंध (न्यूनतम 07 वर्षों के लिए) के माध्यम से व्यवस्था की गयी भूमि (एकड़ में) का विवरण

....

12—वर्तमान में आवेदक के पास उपलब्ध मवेशियों की संख्या—

गोवंश			महिषवंश	
गाय	नर	बैल	मादा	नर

13—वर्तमान में गोवंश के उपलब्ध नस्ल...
14—वर्तमान में आवेदक के पास कुल उत्पादित दूध की मात्रा (कि0ग्रा0 में).............................
15—वर्तमान में उत्पादित दूध के लिये उपलब्ध बाजार...
16—वर्तमान में उपलब्ध सरप्लस/विक्रय योग्य दूध (कि0ग्रा0 में)...

17—आवेदक —

(i) दुग्ध समिति के सदस्य हैं— (हॉ/न

(ii) 03 वर्षों का मवेशी पालन का अनुभव—(हॉ/नहीं)

18—योजना हेतु प्रस्तावित स्थल से निकटतम पशुचिकित्सालय का नाम एवं दूरी (किलोमीटर में)—..........

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नीश्री/श्रीमती—...
.........घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा पूर्व में संचालित कामधेनु, मिनी काम धेनु अथवा माइक्रो कामधेनु अथवा नन्दीनी कृषक समृद्धि योजनान्तर्गत कोई भी लाभ प्राप्त नही किया गया है। आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी सही है तथा गलत पाये जाने पर मेरे आवेदन पत्र को रदद् कर दिया जाय।

स्थान—..

दिनांक—..

आवेदक का हस्ताक्षर

<u>अनिवार्य अनुलग्नक—</u>

(क)आधार कार्ड की स्व प्रमाणित छाया प्रति।
(ख)मवेशी पालन के अनुभव के सम्बंध में जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र।
(ग)बैंक ऋण हेतु सम्बन्धित बैंक द्वारा निर्गत सहमति पत्र।
(घ)भूमि उपलब्धता सम्बन्धी आवश्यक अभिलेख। (खसरा खतौनी/पंजीकृत अनुबंध)

संलग्नक–05

"मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना"
(आधारभूत संरचना स्थापित होने के पश्चात)
अनुदान धनराशि स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवामें,
मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
जनपद, ...,
उत्तर प्रदेश।

1–लाभार्थी संख्या (चयन पत्र के अनुसार)...
2–लाभार्थी का नाम...
3–लाभार्थी के पिता/पति का ....
4–लिंग पुरूष [ ] महिला [ ]
5–आधार संख्या–

6–उम्र–वर्ष–माह–दिन– [ ] [ ] [ ]

7– लाभार्थी का पता ....
....
....
पिन– [ ]

8–मोबाईल/दूरभाष संख्या–

9–इकाई स्थापित करने के स्थान का पता ....
....
पिन– [ ]

10–इकाई स्थापना पर व्यय का विवरण–

क्र0सं0	पशुआवास/उपकरण/अन्य भवन	विवरण	लागत (रू0 में)
1	कैटल शेड (500 वर्ग फुट)		
2	हीफर शेड/काफ शेड(300 वर्ग फुट)		
3	फीड गोदाम (120 वर्ग फुट)		
4	मिल्क रूम (150 वर्ग फुट)		
5	चैफकटर शेड (100 वर्ग फुट)		
6	भूमि विकास, चाहरदिवारी (फेंसिंग–चेन लिंक)–कटिले तार मान्य नहीं हैं, मेन गेट		
7	जेट सबमर्सिबल पम्प		
8	पानी टंकी 2000 ली0 क्षमता		
9	पावर चैफ कटर		

क्र0सं0	पशुआवास/उपकरण/अन्य भवन	विवरण	लागत (रू0 में)
10	मिल्क केन्स		
11	वेइंग मशीन		
12	मिल्किंग मशीन–1		
13	मेजरिंग किट–2 एवं मिल्क बकेट–2		
14	व्हील बैरो ट्राली–1		
15	वर्मी कम्पोस्ट इकाई		
16	अन्य व्यय		
	कुल योग		

नोट–:उपरोक्त में से यदि कोई परिवर्तन लाभार्थी द्वारा किया जाता है तो उसके अनुपात में Project Cost में भी परिवर्तन होगा। ऐसी स्थिति में वास्तविक व्यय के अनुपात में अनुदान की धनराशि अथवा अधिकतम अनुदान की धनराशि में से जो भी कम होगा उसी के अनुरूप अनुदान दिया जायेगा।

11–इकाई स्थापना पर कुल लागत व्यय–

रूपया (अंको में)..

(शब्दों में)..

12–बैंक खाते का विवरण (जिसमें अनुदान धनराशि अवमुक्त की जानी है)–

(i) बैंक खाता संख्या..

(ii) बैंक शाखा का नाम...

(iii) **IFSC** कोड...

(iv) बैंक शाखा का पता..

....

....

पिन–

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नीश्री/श्रीमती.... ....घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी सही है तथा गलत पाये जाने पर मेरे आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाय।

स्थान...

दिनांक..

लाभार्थी का हस्ताक्षर

अनिवार्य अनुलग्नक–

(क)दुग्ध उत्पादक/पशुपालक लाभार्थी के आधार कार्ड की छायाप्रति।

(ख)लाभार्थी के बैंक पास बुक की छायाप्रति/कैन्सिल्ड चेक।

(ग)चयन पत्र की छायाप्रति।

(घ)आधार भूत संरचना के समुचित उपयोग सम्बंधी शपथ पत्र।

(घ)शेड, भवनों एवं उपकरणों के फोटोग्राफ।

संलग्नक–06

'' मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना''

द्वितीय चरण (इकाई के अनुरुप गोवंश क्रय के उपरान्त) के अनुदान धनराशि स्वीकृत करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवामें,

मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
जनपद, ...,
उत्तर प्रदेश।

1–लाभार्थी संख्या (चयन पत्र के अनुसार)...

2–लाभार्थी का नाम...

3–लाभार्थी के पिता/पति का ....

4–लिंग पुरूष ☐ महिला ☐

5–आधार संख्या–

6–उम्र–वर्ष–माह–दिन– ☐ ☐ ☐

7– लाभार्थी का पता ....
....
....

पिन– ☐

8–मोबाईल/दूरभाष संख्या–

9–इकाई स्थापित करने के स्थान का पता ....
.... ☐

10– इकाई स्थापना पर व्यय का विवरण –

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th colspan="5">मद</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td rowspan="4">(i)</td><td colspan="5">गोवंश के क्रय (नस्लवार संख्या) एवं परिवहन पर व्यय</td><td rowspan="4">रु0</td></tr>
<tr><td></td><td>साहीवाल</td><td>थारपारकर</td><td>गिर</td><td>योग</td></tr>
<tr><td>संख्या</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>क्रय लागत (रु0)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td colspan="5">03 वर्षों हेतु पशु बीमा पर व्यय</td><td>रु0</td></tr>
<tr><td colspan="6" align="right">योग–</td><td>रु0</td></tr>
</table>

11– इकाई हेतु गोवंश क्रय पर कुल लागत व्यय–

रूपया (अंक में) –...

(शब्दों में) –...

12– बैंक खाते का विवरण (जिसमें अनुदान धनराशि अवमुक्त की जानी है) –

(i) बैंक खाता संख्या –...

(ii) बैंक शाखा का नाम –...

(iii) **IFSC** कोड –...

(iv) बैंक शाखा का पता –...

पिन–

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती–...घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी सही है तथा गलत पाये जाने पर मेरे आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जाय।

स्थान–...

दिनांक–...

लाभार्थी का हस्ताक्षर

अनिवार्य अनुलग्नक–

(क) गाय क्रय, परिवहन एवं बीमा से सम्बन्धित रसीद की प्रति।

(ख) दुग्ध उत्पादक/पशुपालक लाभार्थी के आधार कार्ड की छायाप्रति।

(ग) गायों की पहचान हेतु माइक्रोचिप्स/ईयर टैगिंग सिस्टम/पहचान की किसी भी मान्यता प्राप्त प्रणाली का प्रमाण–पत्र एवं पहचान संख्या (गोवंश एवं उनके संतति)।

(घ) सम्बन्धित विकास खण्ड के पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जिस पर गाय की प्रजाति का स्पष्ट उल्लेख भी किया गया हो।

(ङ) इस आशय का नोटरी शपथ–पत्र कि योजनान्तर्गत स्थापित इकाई से सम्बन्धित परिसम्पति (गायों को सम्मिलित करते हुए) का रख–रखाव कम से कम अगले 03 वर्ष तक लाभार्थी द्वारा किया जायेगा। तीन वर्ष के पूर्व यदि परिसम्पत्ति का विक्रय अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण किया जाता है, तो अनुदान की वसूली डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा कर ली जाये।

(च) लाभार्थी के बैंक पासबुक की छायाप्रति/कैन्सिल्ड चेक।

(छ) चयन पत्र की छायाप्रति।

(ज) प्रथम अनुदान की छायाप्रति।

संलग्नक–07

" मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना"
(आधारभूत संरचना स्थापित होने के पश्चात) सत्यापन का प्रारूप

कार्यालय के उपयोगार्थ

आवेदनसंख्या–

दिनांक–

....

1– आवेदक का नाम –...

2– आवेदक के पिता/पति का नाम –...

3–आधार संख्या–

4– आवेदक का पता ....
....
....

. पिन–

5–मोबाईल/दूरभाष संख्या–

6–आवेदक/आवेदक के परिवार के पास डेयरी इकाई स्थापित करने हेतु उपलब्ध/पंजीकृत अनुबंध (न्यूनतम 07 वर्षों के लिए) भूमि (एकड़में) –...

7– हरा चारा उगाने हेतु कृषि योग्य उपलब्ध/पंजीकृत अनुबंध (न्यूनतम 07 वर्षों के लिए) भूमि (एकड़में) –...

8– वर्तमान में आवेदक के पास उपलब्ध मवेशियों की संख्या–

गोवंश			महिषवंश	
गाय	नर	बैल	मादा	नर

9– वर्तमान में गोवंश के नस्ल ....

10– वर्तमान में उपलब्ध सरप्लस/विक्रय योग्य दूध (कि0ग्रा0 में)–...

11–आवेदक –

(i) दुग्ध समिति के सदस्य हैं– (हॉ/नहीं)

(ii) 03 वर्षों का मवेशी पालन का अनुभव– (हॉ/नहीं)

समिति का मन्तव्य–

1–लाभार्थी द्वारा प्रस्तावित स्थल परियोजना के अनुकूल (जलभराव इत्यादि से मुक्त)– (हॉ/नहीं)

2– डेयरी इकाई के स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता (0.2 एकड)–

3– चारा उत्पादन हेतु भूमि की उपलब्धता (0.8 एकड)–

4– आधारभूत संरचना के विकसित किये जाने सम्बन्धी विवरण–

5–इकाई स्थापना पर व्यय का विवरण–

क्र0सं0	पशुआवास/उपकरण/अन्य भवन	विवरण	लागत (रू0 में)
1	कैटल शेड (500 वर्ग फुट)		
2	हीफर शेड/काफ शेड(300 वर्ग फुट)		
3	फीड गोदाम (120 वर्ग फुट)		
4	मिल्क रूम (150 वर्ग फुट)		
5	चैफकटर शेड (100 वर्ग फुट)		
6	भूमि विकास, चाहरदिवारी (फेंसिंग–चेन लिंक)– कटिले तार मान्य नहीं हैं, मेन गेट		
7	जेट सबमर्सिबल पम्प		
8	पानी टंकी 2000 ली0 क्षमता		
9	पावर चैफ कटर		
10	मिल्क केन्स		
11	वेइंग मशीन		
12	मिल्किंग मशीन–1		
13	मेजरिंग किट–2 एवं मिल्क बकेट–2		
14	व्हील बैरो ट्राली–1		
15	वर्मी कम्पोस्ट इकाई		
16	अन्य व्यय		
	कुल योग		

समिति द्वारा इकाई स्थापित होने की दशा में प्रथम किश्त के अनुदान हेतु स्पष्ट संस्तुति– (हॉ/नहीं)

हस्ताक्षर–

पशुधन प्रसार अधिकारीउप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/पशुचिकित्साधिकारी

संलग्नक–08

" मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना"

(इकाई के अनुरुप गोवंश क्रय के उपरान्त) सत्यापन का प्रारूप

कार्यालय के उपयोगार्थ

आवेदनसंख्या–

दिनांक–

....

1– आवेदक का नाम ....

2– आवेदक के पिता/पति का नाम ....

3–आधार संख्या–

4– आवेदक का पता ....
....
....

पिन–

5–मोबाईल/दूरभाष संख्या–

6– वर्तमान में आवेदक के पास उपलब्ध मवेशियों की संख्या–

गोवंश			महिषवंश	
गाय	नर	बैल	मादा	नर

7– वर्तमान में गोवंश के नस्ल ....

8– वर्तमान में उपलब्ध सरप्लस/विक्रय योग्य दूध (कि0ग्रा0 में)...

समिति का मन्तव्य–

9–क्रय किये गये गोवंश सम्बन्धी विवरण–

क्र0 सं0	मद					विवरण
(i)	गोवंश के क्रय(नस्लवार संख्या) एवं परिवहन पर व्यय					रु0
		साहीवाल	थारपारकर	गिर	योग	
	संख्या					
	क्रय लागत(रु0)					
(ii)	03 वर्षो हेतु पशु बीमा पर व्यय					रु0
					योग–	रु0

समिति द्वारा इकाई स्थापित होने की दशा में द्वितीयकिश्त केअनुदान हेतु स्पष्ट संस्तुति– (हॉ/नहीं)

हस्ताक्षर–

पशुधन प्रसार अधिकारीउप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/पशुचिकित्साधिकारी

संलग्नक–9

मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रारूप

जनपद का नाम   माह :   वर्ष :

क्र0 स0	स्वीकृत इकाईयां– लाभार्थी का नाम एवं संपर्क सूत्र	विकास खण्ड	संख्या एवं दुग्ध उत्पादन								उत्पादित दुग्ध के विपणन/ वैल्यू एडिशन से प्राप्त आय रू0 में	माह में मृत पशु संख्या	मृत पशु के सापेक्ष बीमा क्लेम की धनराशि	क्या नवीन दुधारू गोवंश का क्रय किया गया	कुल व्यय / लाभार्थी को हस्तान्तरित धनराशि रू0 लाख में
			साहीवाल		थारपारकर		गिर		योग						
			सख्या	ली0/ दिन	सख्या	ली0/ दिन	सख्या	ली0/ दिन	सख्या	ली0/ दिन					